



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :-राप्रनिम/क्षैका चित्तौड़गढ़/2024-25/निविदा संख्या-04/

दिनांक:

खुली निविदा सूचना सं. 04/2024-25

वित्त विभाग (बजट अनुभाग) के परिपत्र संख्या एफ.9 (1) एफ.डी.1 (1) बजट 2015 दिनांक 15.05.2015 के अनुसरण में विभाग वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, दिनांक 28.02.2019, दिनांक 05.04.2022 एवं दिनांक 03.10.2023 अनुबन्ध किये जाने की दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए जिला क्षेत्राधिकार में संचालन हेतु प्रतिमाह निर्धारित किलोमीटर एव किराए के आधार पर वाहन किराया अनुबंध पर लेने हेतु स्वीकृति प्राप्त है, के अनुसरण में क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़ में दैनिक उपयोग हेतु एक वाहन (चालक सहित) किराया अनुबंध एक वर्ष तक के लिये जाने हेतु खुली वाहन निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहन नवीनतम मॉडल (अधिकतम 5 वर्ष से पुराना नहीं) का होना चाहिए एवं टैक्सी परमिट होना चाहिए। निविदा प्राप्त न होने पर नवीनतम मॉडल एवं न्यूनतम दर वाले टैक्सी परमिट वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी। आपूर्तिकर्ता वाहन के अनुबंध के संबंध में वित्त विभाग, राज्य सरकार के वाहन निविदा सूचना नियम व शर्तों के लिए पाबंद रहेगा।

इच्छुक निम्न विवरणानुसार अपना आवेदन व दरें वांछित जानकारी के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र.सं	विवरण	विशेष विवरण
1	कार्य की अनुमानित लागत	4,50,000 रुपये
2	निविदा प्रपत्र शुल्क	200/- रुपये नकद अथवा डीडी Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Chittorgarh के पक्ष में।
3	निविदा के साथ प्रतिभूति राशि	डीडी के रूप में 9000/- Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Chittorgarh के पक्ष में।
4	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि	22500/- Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Chittorgarh के पक्ष में।
5	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा प्रकाशन की दिनांक 10/07/2024 से दिनांक 19/07/2024 साय: 5 बजे तक
6	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	19/07/2024 साय: 6:00 बजे तक।
7	निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय	22/07/2024 दोपहर 2:00 बजे उपापन कमेटी के समक्ष

निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें मण्डल की वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb एवं www.sppp.rajasthan.gov.in भी देखी जा सकती है। इस निविदा के NIB No. **PCB2425A0032** एवं UBN No. **PCB2425SSOB00034** है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

—sd—
(दीपक तंवर)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक :-राप्रनिम/क्षैका चित्तौड़गढ़/2024-25/निविदा संख्या-04/865

दिनांक: 10/7/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. ए.सी.पी. (आई.टी.सेल), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा प्रपत्र राज्य मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
3. State Public Procurement Portal (sppp.rajasthan.gov.in)
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़।

Deepak Tanwar
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

नियम एवं शर्तें

1. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौड़गढ़ को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दें। सशर्त बोली प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा। समस्त विवादो का न्यायक्षेत्र चित्तौड़गढ़ होगा।
2. कर्तव्य स्थल (Duty Point) से दूरी व समय की गणना की जायेगी।
3. वाहन 5 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहियें तथापि नवीनतम वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. वाहन के साथ वाहन के मालिकाना हक के कागजात, वाहन बीमा के कागज, वाहन मालिक का बैंक खाते की पास बुक की फोटो प्रति, फर्म जीएसटी नम्बर, पेन कार्ड आदि कागज अपने लेटर पेड पर दरों के साथ उक्त कागजात संलग्न करना सुनिश्चित करें। **(तकनीकी निविदा प्रपत्र अनुसार लिफाफा संख्या - 01)**
5. निविदादाता अपनी वित्तीय दरें निविदा प्रपत्र के साथ अलग लिफाफे में संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे। **(वित्तीय निविदा प्रपत्र अनुसार लिफाफा संख्या - 02)**
6. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक को निविदा मूल्य के 02 प्रतिशत की दर से निविदा धरोहर राशि का डीडी जो कि Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Chittorgarh के पक्ष में देय हो, निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनका निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
7. वाहन का टेक्सी पासिंग होना, रजिस्ट्रेशन होना तथा वाहन स्वामी द्वारा समय पर वार्षिक बीमा व परिवहन कर की राशि जमा कराके दस्तावेज कार्यालय हाजा में प्रस्तुत करना होगा।
8. सफल निविदा दाता/आवेदक को 05 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि डीडी/चैक के रूप में Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Chittorgarh के पक्ष में देय हो, जमा कराकर 500/- रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा राज्य सरकार के नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी की कटौती की जावेगी।
9. प्रतिदिन वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, जो वाहन मालिक की जोखिम पर कार्यालय परिसर / दुरस्थ स्थान पर खड़ा करना एवं ले जाना होगा।
10. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुमोदित एवं अनुबंधित वाहन के वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना चाहिए। वाहन चालक नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करता हो, सदाचारी एवं कुशल हो।

Deepal Varma

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़
 Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

11. डीजल पेट्रोल ऑयल वाहन मालिक का होगा। प्रतिदिन वाहन डीजल, पेट्रोल (फुल टैंक) करवाकर भिजवाना होगा अथवा चालक को राशि उपलब्ध करानी होगी।
12. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात् अथवा अंतिम बिल भुगतान होने के पश्चात् जो भी बाद में हो देय होगी।
13. वाहन मालिक द्वारा माह की समाप्ति के एक सप्ताह में बिल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिसका नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। नगद भुगतान देय नहीं होगा।
14. कार्यालय में गाड़ी रहने का समय सामान्यतः सुबह 9:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक का रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वाहन किसी भी समय मंगवाया जा सकता है तथा कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकतानुसार वाहन को देर रात्रि तक भी रोका जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर राजपत्रित अवकाशों में या प्रातः 9:00 से पूर्व सांय 7:00 बजे के पश्चात् भी आवश्यकता पड़ने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
15. बिल के साथ लॉग बुक में अंकित यात्रा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किये जाने पर कैशियर कार्यालय हाजा बिल के भुगतान की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
16. हर तीन माह में वाहन का फिजिकल फिटनेस देखा जावेगा।
17. सन्तोषप्रद सेवा नहीं एवं कार्यालय में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार वाहन को किसी भी समय हटाया जा सकता है।
18. समस्त व्यय भार व चालक वेतन आदि समस्त भार वाहन मालिक द्वारा वहन किये जायेंगे। निर्धारित मासिक किराये के अलावा कोई भार इस कार्यालय द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
19. जीएसटी की की राशि अतिरिक्त देय होगी।
20. सफल निविदादाता द्वारा कार्यालय को आवश्यकता होने पर स्वीकृत दरों पर ही अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाया जावेगा।
21. वाहन में टूट-फूट/दुर्घटना/चालान/चोरी होने/वाहन दुर्घटना क्लेम आदि की समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
22. वाहन 24 घन्टे उपलब्ध कराना होगा। आवश्यकता पर वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर/चालक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर राशि 500/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती किया जावेगा।

Deepak Verma

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

23. राजकीय अवकाश पर वाहन को कार्यालय में ही रखा जावेगा।
24. समस्त विधिक कार्यवाही का मुख्यालय चित्तौड़गढ़ होगा।
25. वाहन मालिक द्वारा आदेश में वर्णित शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है। उक्त स्वीकारोक्ति को स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर नोटेरी द्वारा प्रमाणित करा कर शीघ्र ही प्रस्तुत कराना होगा, तब ही वाहन किराये का भुगतान किया जावेगा।
26. क्षेत्रीय कार्यालय, चित्तौड़गढ़ का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/बांसवाडा है। वाहन कच्चे व पक्के मार्गों पर चलेगा व वाहन रात्रि विश्राम भी गांवों में रुकना पड सकता है।
27. उक्त वाहन अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध किये जाने की दिनांक से 01 वर्ष तक के लिये होगी। आपसी सहमति से सन्तोषप्रद कार्य होने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। बजट उपलब्धता की स्थिति में निरन्तर वाहन को चालू रखा जावेगा।
28. वाहन किराया का भुगतान प्रस्तुत दर एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार संशोधित किये जाने पर तदानुसार देय होगा।

Deepal Janwal

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

खुली निविदा सूचना सं. 04/2024-25

(लिफाफा नम्बर-01)

निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला तकनीकी निविदा प्रपत्र

क.सं.	विवरण	संलग्नक क्रमांक
1.	टेक्सी परमीट वाहन धारक/ठेकेदार/फर्म वाहन आपूर्ति कर सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव यदि हो तो। (अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश संलग्न करें)	
2.	टेक्सी पासिंग वाहन के मालिकाना हक के कागजात (रजिस्ट्रेशन इत्यादि)	
3.	टेक्सी पासिंग वाहन बीमा के कागजात	
4.	टेक्सी पासिंग वाहन फिटनेस सम्बन्धी कागजात एवं वाहन प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट	
5.	वैध टेक्सी वाहन चालन लाईसेंस	
6.	वाहन का परमिट ऑफ ज्यूडिकशन	
7.	टेक्सी पासिंग वाहन मालिक का बैंक खाते की पास बुक की फोटो प्रति	
8.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
9.	संस्था आयकर (पैन नंबर) PAN की सत्यापित प्रति	
10.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50 रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र	

दिनांक :-

स्थान :-

Deepak Kumar

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

खुली निविदा सूचना सं. 04/2024-25

(लिफाफा नम्बर-02)

वित्तीय दर प्रपत्र

वाहन किराया हेतु सेवा प्रदाय की दरें निम्न प्रकार प्रस्तुत करनी होंगी :-

दरें 1500 कि.मी. तक मासिक एवं इससे अधिक चलने पर 2200 कि.मी. तक प्रति कि.मी. प्रति वाहन में प्रस्तुत करें।

क्र.स.	विवरण	दर प्रति माह (जीएसटी के अतिरिक्त)
1.	1500 कि.मी. तक (एक मुश्त भुगतान की दर)	
2.	1501 कि.मी. से 2200 कि.मी. तक (700 कि.मी) प्रति कि.मी. दर	
	कुल योग	

दिनांक :-

स्थान :-

Deepak Yanwal

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व फर्म का पता मोहर सहित